

पंचायत निगरानी संख्या : 134/2024
 उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 134/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/148

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

विकास अधिकारी पंचायत समिति
 बाली

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द
2. श्री अचलेश्वर प्रसाद पुत्र धुलाराम
 जाति ब्राह्मण निवासी भाटुन्द ग्रा.
 प. भाटुन्द तह. बाली जिला पाली
 राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 03.10.2019 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का पट्टा बुक संख्या 90 को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से स्वयं विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली।
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमंत बोहरा

—:निर्णय:—

दिनांक: 18.03.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भाटुन्द पंचायत समिति बाली द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 03.10.2019 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का पट्टा बुक संख्या 90 में जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 16 दिनांक 03.10.2019 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का पट्टा बुक संख्या 90 में जारी किया गया। उक्त जैर निगरानी पट्टा संख्या 16 दिनांक 03.10.2019 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त योग्य है, क्योंकि उक्त पट्टा आबादी भूमि से बाहर जारी करने की शिकायत माननीय लोकायुक्त सचिवालय में की गई, जिसके क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के आदेशांक 78 दिनांक 15.03.2022 के तहत गठित त्रि-स्तरीय जांच दल 1. श्री कुंभसिंह सहायक अभियंता 2. श्री मोहन सिन्दल, सहायक लेखाधिकारी 3. श्री दिनेश गहलोत सहायक विकास अधिकारी ने जांच की। उक्त जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त जैर निगरानी पट्टा आबादी क्षेत्र से बाहर जारी करना बताया जाने के कारण निरस्त योग्य है।

अति. कलक्टर
 " (बाली)

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 134/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994


अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत भाटुन्द पंचायत समिति बाली द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 03.10.2019 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का पट्टा बुक संख्या 90 में जारी किया गया है, जिसकी वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

विचाराधीन निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालना करते हुए ही पुराने गृहों के विनियमितकरण के रूप में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। यह भी, कि किसी एक शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त सचिवालय में प्रेषित परिवाद पर गठित एक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विकास अधिकारी द्वारा हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रथमतः, उक्त जांच समिति में राजस्व कार्मिक/अधिकारी शामिल ही नहीं थे, जो यह प्रमाणित कर सके कि जैर निगरानी पट्टे का भूखण्ड आबादी भूमि में है अथवा गैर आबादी भूमि में। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न नहीं है और न ही जांच रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज यथा पटवारी रिपोर्ट, नजरी नक्शा, राजस्व नक्शा इत्यादि सलंग्न किया गया है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के अंत में निवेदन किया कि विकास अधिकारी द्वारा बिना जांच परीक्षण किए ही यांत्रिक ढंग से हस्तगत निगरानी पेश की गई है, जिसे खारिज किया जाए।

उक्त तर्कों के विरोध में विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे के संबंध में तथा अन्य कुछ बिन्दुओं पर एक व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद पेश किया गया था, जिस पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। उक्त जांच समिति ने जैर निगरानी पट्टे के संबंध में यह लिखा था कि अभी ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का सीमाज्ञान कराकर चूना मार्किंग की गई है एवं जैर निगरानी पट्टे की भूमि उक्त मार्किंग से बाहर स्थित है। उक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह भी, कि मूल शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष यह बयान दिया था कि उसके द्वारा लोकायुक्त सचिवालय में अनजाने में शिकायत की गई थी, जिसे खारिज किया जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में उठाए तर्कों के प्रत्युत्तर में प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली ने अवगत कराया कि पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट का नजरी नक्शा अथवा जैर निगरानी भूखण्ड आबादी सीमा की चूना मार्किंग से बाहर होने को दर्शाता कोई फोटोग्राफ इत्यादि रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 134/2024
 उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। हस्तगत निगरानी एक तीन सदस्यीय जाँच समिति के इस निष्कर्ष के आधार पर प्रस्तुत की गई है कि जैर निगरानी पट्टे से संबंधित भू-भाग आबादी भूमि की सीमा हेतु की गई चूना मार्किंग से बाहर स्थित होने के कारण काबिल खारिज है। किन्तु, उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट, नजरी नक्शा अथवा चूना मार्किंग पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि इस स्तर पर जैर निगरानी पट्टे की वैधता पर कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण विकास अधिकारी बाली को इस निर्देश के साथ पुन प्रेषित किया जाता है कि पंचायत एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों की संयुक्त जाँच दल गठित कर जैर निगरानी भूखण्ड का उचित सीमांकन करवाया जाए एवं बाद सीमांकन यदि उक्त भू भाग गैर आबादी भूमि में पाया जाए, तो तदनुरूप सम्पूर्ण प्रासंगिक दस्तावेजों सहित पुनः निगरानी प्रस्तुत की जाए। जाँच दल में राजस्व कार्मिकों को शामिल करने हेतु विकास अधिकारी द्वारा तहसीलदार बाली को पृथक से पत्र लिखा जाकर प्रतिलिपि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जाए।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


 (शैलेन्द्र सिंह)
 अतिरिक्त निगरानी अधिकारी
 अतिरिक्त जिला अधिकारी,
 बाली